



भारत सरकार, खान मंत्रालय  
 GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES  
 भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर  
 INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR  
 फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

फाइल संख्या - CHG/KNK/Fe-6	खान कोड 30CHG08007	दिनांक 04/08/2022
----------------------------	--------------------	-------------------

प्रेषित- श्री श्रवण कुमार गोयल, पूर्णकालिक निदेशक और मनोनीत मालिक  
 मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड  
 गांव: बोरझारा, उरला-गुमा रोड  
 उरला ग्रोथ सेंटर, रायपुर- 493221 छत्तीसगढ़।

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर बस्तर कांकेर जिले में स्थित आपकी हहाल्दी लौह अयस्क खदान, 75.00 हे.  
 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-  
 महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 14/07/2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री डी. के. महंता, महाप्रबंधक (भूविज्ञान एवं खनन) और एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
37(6)	The fines, rejects or tailings from mine, beneficiation or metallurgical plants shall be deposited and disposed in a specially prepared tailings disposal area such that they are not allowed to flow away and cause land degradation or damage to agricultural field, pollution of surface water bodies and ground water or cause floods. However it was observed during field inspection that the ROM ore /mineral stacks protected by retaining wall had been broken up at few places during rainy season and ROM ore /mineral stacks not properly maintained to avoid the flow of material.

01. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
02. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दयानन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -  
Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल कोम्प्लेक्स , नया  
रायपुर, छत्तिसगढ- Email dgm.cg@gov.in

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो